

18/8

कलम 141(क) उपलब्धता इस प्रकार

है संबंधित मूल प्रकृति 25A 25A प्र.कः

44/2024 का विवरण पालिका किया जा चुका है

अतः अब इस प्रकार में खर्च कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं रहे गयी है अतः प्र.पत्र की

कार्यवाही इसी स्तर पर रूप की जाकर प्र.

पत्र प्रसारित किया जाता है। तथा न्यायपालिका

द्वारा जारी अध्यादेश निषेधाज्ञा दिनांक 11/03/2024

की विरुद्ध किया जाता है परावली के



में शुभारंभ होकर मूल प्रकृति के संबंध में

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर